न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2023/26

1. आनन्दीलाल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. गिरधारीलाल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. रामजानकी पुत्री गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. पार्वती पुत्री स्व0 गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82A/16 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांटगण कम 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 117, 123, 124, 125, 126, 335, 339, 340, 341, 787, 788, 849, 850, 116/963 कुल किता 14 रकबा 13.22 हैक्टर आराजी वादीगण अपीलांटगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज देव्या, गोविन्दा, पिसरान नारायण के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिनके देहांत के बाद संपूर्ण आराजी वादीगण के नाम दर्ज हो गयी। जमाबंदी संवत् 2024–2027 के अनुसार देव्या, गोविन्दा पिसरान नारायण माली, आराजी खसरा नंबर 558/540 रकबा 02 बीघा 8

बिस्वा के भी खातेदार चले आ रहे है। वादीगण को खसरा नंबर 560/2, 560/3 रकबा 01 बीघा आराजी उपनिवेशन द्वारा भी आवंटित की गयी थी। उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से खसरा नंबर 560/2, 560/3 व 560/4 को मिलाकर नया खसरा नंबर 560 बना दिया और सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि गैरकानूनी और त्रुटिपूर्ण है। सेटलमेन्ट विभाग ने इसी खसरा नंबर 560 को आधार मानकर नये नंबर 850/952 रकबा 4.41 हैक्टर कायम करके सिवायचक दर्ज करके वादीगण के खाते से हटा दिया। इस कारण राज्य सरकार द्वारा इस आराजी पर खेती करते रहने के कारण 91 ले. रे. एक्ट के नोटिस भिजवाना प्रारंभ कर दिया। उक्त आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वजों का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। राज्य सरकार का यह कानूनी दायित्व है कि वह इन खसरा नंबरों के लोप किये जाने का कारण बताये। वाद कारण खसरा नंबर 560/2, 560/3 व 558/40 को एक करके नया खसरा 560 बनाये जाने तथा इसको सिवायचक दर्ज किये जाने से व इस आराजी पर वादीगण को कब्जे के कारण 91 ले. रे. एक्ट का नोटिस दिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ। अन्त में वादीगण अपीलांटगण को गत खसरा नंबर 560/2 व 560/3 तथा नये खसरा नंबर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर का खातेदार घोषित करने का निवेदन किये जाने तथा पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में परिवर्तन किये जाने का निवेदन किया। साथ ही तहसीलदार लाडपुरा को खसरा नम्बर 850/952 के धारा 91 ले.रे.एक्ट के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिये जाने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2022 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावजे राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियों है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा जेन्युईन है। साथ ही उक्त दस्तावेज विवादित भूमि से सम्बंधित है जिन्हे प्रकरण के समुचित निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना व रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपीयां है। उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 558/540 की 2 बीघा 8 बिस्वा के देव्या गोविन्दा पिसरान नारायण माली खातेदार थे। इसके अलावा देव्या गोविन्दा पिसरान नारायण को ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा की 1 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। देव्या एवं गोविन्दा खातेदार की मृत्यु हो गयी है। देव्या के कोई संतान नहीं थी। वादीगण अपीलांटस उनके उत्तराधिकारी है। वादीगण अपीलांटस नं0 01 व 02 गोविन्दा के पुत्र है। वादी अपीलांट नं0 03 पुत्री है। अपीलांट नं0 04 गोविन्दा की पत्नी होने से उत्तराधिकारी है एवं उपरोक्त भूमि पर काबिज है। वादीगण अपीलांटस उक्त वाद को डिक्री कराने का अधिकारी है। इस तथ्य को वादीगण अपीलांटान ने प्रमाणित कर दिया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण अपीलांटस खारिज फरमाने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से खसरा नंबर 560/2, खसरा नं0 560/3 व खसरा नं0 560/4 को मिलाकर नया खसरा नं0 560 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों का उक्त कृत्य सर्वथा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नं0 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर में शामिल कर सर्वथा गैर कानूनी एवं त्रुटि पूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज करने में त्रुटि की हैं। इस तथ्य को वादी अपीलांट ने साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण अपीलांटस सर्वथा गलत रूप से मनमाने तोर पर खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय त्रुटि पूर्ण अप्रमाणित रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करके दावा वादीगण अपीलांटस खारिज फरमाने में त्रुटि की है। दोनों पक्षकारान की मौजुदगी में पैमाइश किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि अपीलांटस के पास सेटलमेन्ट से पूर्व जितनी आराजी थी उतनी ही सेटलमेन्ट के बाद दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश फरमाने में त्रुटि की है की वादी अपीलांटस के खाते 0.12 हैक्टर भूमि बेशी दर्ज की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत शहादत को एप्रीशियेट किये बिना ही निर्णय व डिक्री

जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2022 को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

8. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 10.03.2003 के अनुसार "मौका अनुसार प्रार्थी के स्वयं के खाते की भूमि खसरा नम्बर 787, 788, 849, 850 पर एवं सिवायचक खसरा नम्बर 850/952 पर काबिज है, रकबा कम व बेशी नहीं हुआ है। प्रार्थी के इस ब्लॉक में साबिक खसरा नम्बर 344 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 557 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा कुल 58 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी। भू–प्रबन्ध के पश्चात प्रार्थी(अपीलांट) के खाते खसरा नम्बर 787 रकबा 4.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 849 रकबा 1.63 हैक्टेयर एवं 850 रकबा 2.82 हैक्टेयर कुल 9.31 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी जो मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन करने पर पूर्ण है।" पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 11.04.2007 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार वादीगण के पास प्रश्नगत खसरा नम्बर के पास वाले ब्लॉक में साबिक खसरा नम्बर 344 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 557 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा कुल 58 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी जिसके 9.32 हैक्टेयर बनते है। भू–प्रबन्ध बाद वादीगणो के खाते हाल खसरा नम्बर 787 रकबा 4.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 849 रकबा 1.63 हैक्टेयर एवं 850 रकबा 2.82 हैक्टेयर कुल 9.31 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई जो साबिक के मुकाबले पूर्ण है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में है। बिन्दु संख्या 6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है लेकिन पूर्व बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 558 रकबा 15 बीघा जिसके 2.40 हैक्टेयर बनते है, बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टेयर दर्ज होकर 0.42 हैक्टेयर रकबा बेशी दर्ज खाते वादीगण हुआ है। खसरा नम्बर 558/540 मूल खसरा नम्बर 558 के समानान्तर साबिक नक्शे में दर्ज है। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार वादीगण के खाते में साबिक के मुकाबले हाल में दर्ज खाते में कोई कमी नहीं हुई है। प्रश्नगत साबिक खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा(0.16 हैक्टेयर) जिसके हाल खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टेयर वादीगण के गैर खातेदारी मे दर्ज है, को मुताबिक पट्टा खातेदार घोषित किया जाना उचित है एवं साबिक खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टेयर दर्ज हुए है, पूर्ववत ही वादीगण के खाते दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रहेगा जो वादीगण के अवैध कब्जा–काश्त में है। अगल–बगल की भूमि में से कोई कमी बेशी नहीं हुई है। इस प्रकार विस्तृत रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त अनुसार खसरा नम्बर 850/952 की 0.41 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि पर वादी अपीलांट का अवैध

कब्जा काश्त होता है। साथ ही उसको पूर्व में आवंटित भूमि के रकबे में कोई कमी–बेशी नहीं होना साबित होता है। अंत में पैरोकार सरकार ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2022 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श–20 नकल जमाबंदी सम्वत 2016 से 2024 किता 10 कुल रकबा 96 बीघा 12 बिस्वा। प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 किता 9 रकबा 94 बीघा 1 बिस्वा। प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 कुल किता 9 रकबा 92 बीघा 17 बिस्वा। प्रदर्श–2 खातेदारी सनद उपनिवेशन विभाग दिनांक 16.10.1973। राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 560/2 व 560/3। प्रदर्श–मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2038 से 2057। प्रदर्श–19 नकल जमाबंदी 2055 से 2058 सिवायचक खसरा नम्बर 850/952। प्रदर्श–22 नक्शा खसरा नम्बर 560/1, 560/2, 560/3, 560/4। प्रदर्श–23 राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 560। प्रदर्श–24 हाल नक्शा 850/952, 851। प्रदर्श–25 नकल जमाबंदी 2063 से 2066 किता 14 रकबा 10.01 हैक्टेयर। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 10.03.2003(पृष्ठ–71)। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 11.04.2007 एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 11.01. 2013(पृष्ठ–75)। प्रदर्श–26 नकल आवेदन रिपोर्ट दिनांक 15.10.1984 (पृष्ठ–80)। प्रदर्श–27 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–28 राजस्व नक्शा, प्रदर्श–29 राजस्व नक्शा। हमने उक्त सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। नकल जमाबंदी 2024 से 2027 के अनुसार खसरा नम्बर 558/540 की रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि देव्या, गोविन्दा पिता नारायण के नाम खाते दर्ज है। खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 की रकबा 1 बीघा भूमि का भू–आवंटन उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर 560 के नवीन खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जिस पर वादी अपीलांट अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अपीलांटगण द्वारा दोनो पक्षकारान की मौजूदगी में भूमि की पैमाईश चाहते हुए सिवायचक खसरा नम्बर 850/952 की 0.41 हैक्टेयर भूमि का अपीलांटगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है, जबकि उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 560 के नवीन खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टेयर कायम हुए है। खसरा नम्बर 851 की रकबा 0. 28 हैक्टेयर भूमि आनन्दीलाल, गिरधारी पुत्र गोविन्दा की गैर खातेदारी में दर्ज है, जो पूर्व आवंटित रकबे 1 बीघा के मुकाबले 0.12 हैक्टेयर बेशी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार "साबिक खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड मे उपलब्ध नहीं है साथ ही साबिक खसरा नम्बर 528/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टेयर दर्ज हुई है, पूर्ववत ही वादी अपीलांट के खाते दर्ज है

।" नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2024 कुल किता 10 कुल रकबा 96 बीघा 12 बिस्वा भूमि देवा, गोविन्दा पिता नारायण की खातेदारी में है परन्तु इसमें खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा भूमि अंकित नहीं है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 कुल किता 9 कुल रकबा 94 बीघा 1 बिस्वा भूमि में खसरा नम्बर 560 की 1 बीघा भूमि अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 के अनुसार खसरा नम्बर 59, 147, 344, 556, 557, 558, 59/589, 558/540 व 560 कुल किता 9 कुल रकबा 92 बीघा 17 बिस्वा भूमि देवा, गोविन्दा पिता नारायण के खाते दर्ज है। खातेदारी सनद उपनिवेशन विभाग दिनांक 16.10.1973 के अनुसार वादी अपीलांट के पिता को खसरा नम्बर 560/2 की रकबा 10 बिस्वा तथा 560/3 की 10 बिस्वा भूमि आवंटन दिनांक 15.12.1961 को किये जाने की पुष्टि होती है। वादी अपीलांट खसरा नम्बर 558/540 से बने नए व पुराने खसरा नम्बर तथा कुल रकबे की स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहे। अपीलांट ने अपील में अनुतोष चाहा है कि गत खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 तथा नए खसरा नम्बर 850/952 की 0.40 है0 भूमि का वादीगण अपीलांटगण को खातेदार घोषित किया जाए। परन्तु ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेज/मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि गत खसरा नम्बर 560 किन–किन खसरा नम्बर से मिलकर बना है। ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 से खसरा नम्बर 850/952 निर्मित हुआ हो। पत्रावली में प्रदर्श–26 पर उपलब्ध नकल आवेदन पर अंकित रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम ताथेड़ की बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2057 के मिलान क्षेत्रफल में पुराना खसरा नम्बर 558/540 व 558/590 कहीं पर भी दर्ज नहीं है।" अंकित करते हुए नकल आवेदन निरस्त किया गया है। गत खसरा नम्बर 560 के नवीन खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टेयर बने है जो वादी अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज है। जिससे यह भी प्रतीत होता है कि वादी अपीलांट के पिता को गत खसरा नम्बरान की आवंटित भूमि रकबा 1 बीघा के मुकाबले 0.16 हैक्टेयर के स्थान पर वर्तमान में 0.12 हैक्टेयर बेशी दर्ज होकर 0.28 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 850/952 की 0.41 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि वादी अपीलांट को आवंटित भूमि से पृथक भूमि पृथक भूमि प्रतीत होती है। वादी अपीलांट के खाते की भूमि व आवंटित भूमि में साबिक रकबे के मुकाबले हाल दर्ज रकबे में कोई कमी नहीं होना पाया जाना प्रतीत होता है। नवीन खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि में गत के मुकाबले 0.12 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज रिकॉर्ड होना साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की दिनांक 11.01.2013 की रिपोर्ट में भी वादी के खाते में साबिक के मुकाबले हाल में दर्ज रकबे में कोई कमी नहीं होना अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी यही माना है। उपुर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपने कथनों को पर्याप्त साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.12.2022 से हम सहमत है तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर समस्त अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82A/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2022 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Partt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2023/26

1. आनन्दीलाल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. गिरधारीलल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. रामजानकी पुत्री गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. पार्वती पुत्री स्व0 गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

– अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

– रेस्पोडेन्ट

वाद पत्र संख्याः 82A/2016

1. आनन्दीलाल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. गिरधारीलल आत्मज गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. रामजानकी पुत्री गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. पार्वती पुत्री स्व0 गोविन्दा जाति माली निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद पत्र संख्या 82A/2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2022** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 22.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2022 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

4. यह डिक्री आज तारीख 22.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा